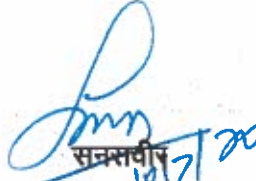


संख्या-17

प्रभावित वन भूमि का शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) के
भुगतान किये जाने सम्बन्धी प्रमाण पत्र

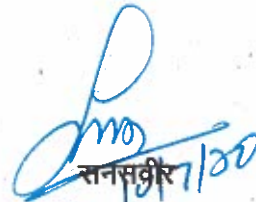
प्रमाणित किया जाता है कि केन्द्रीय वन एवं पर्यावरण मन्त्रालय भारत सरकार नई दिल्ली के पत्र संख्या-एफ0एन0 5-3/2007 (एफ0सी0, डिवीजन) दिनांक-05-02-2009 द्वारा 30 वर्षों के लिए वन भूमि के हस्तान्तरण/गैर वानिकी प्रयोग हेतु निर्धारित नेट प्रजेन्ट वैल्यू (एन0पी0वी0) और बढ़ी दरों के अनुसार धनराशि को प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग द्वारा क्षतिपूर्ति वनीकरण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण (CAMP) वन विभाग उत्तर प्रदेश को ई-पोर्टल से उत्पन्न ई-चालान द्वारा भुगतान कर दिया जायेगा।


सन्सवीर
अधिशायी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग
मथुरा
SANASVIR
Executive Engineer
Prov. Div. P.W.D.
Mathura


आर० एन० मिश्रा
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
मथुरा
१ 23/7/20

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग द्वारा "वृन्दावन छटीकरा राधाकुण्ड मार्ग (अ०जि०मा०) (चैनेज 6.000 से 20.100 कि.मी. व चैनेज 21.000 से 21.400 कि.मी.) का चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण का कार्य (लम्बाई 14.500 कि.मी.)" जिला- मथुरा (उत्तर प्रदेश) में प्रस्तावित चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण का कार्य से प्रभावित 3.1746 हैक्टे० संरक्षित वन भूमि (परियोजना के प्रथम बिन्दु चैनेज 6.00 से चैनेज 6.200, चैनेज 7.050 से चैनेज 13.203, चैनेज 18.000 से 18.400 तक 3.1746 हैक्टे० संरक्षित वन भूमि) के गैरवानिकी प्रयोग हेतु माँग की गयी एन०पी०वी० की धनराशि की दर में भविष्य में भारत सरकार द्वारा/सक्षम स्तर से बढ़ोत्तरी होती है तो बढी हुई धनराशि का भुगतान प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जायेगा।


सहस्रद्वी
अधिशाली अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग
मथुरा
Executive Engineer
Prov. Div. P.W.D.
Mathura


अर० एन० मिश्रा
प्रभागिय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
मथुरा
२३/७/२०